क्रम-संख्या—32

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी0—11/लाई0 —
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 20 फरवरी, 2006

फाल्गुन 1, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 133/सात—वि—1—01(क)4-2006
लखनऊ : 20 फरवरी, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 पर दिनांक 17 फरवरी, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

लागू होना

2–इस अधिनियम के उपबन्ध समूह 'ग' के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह 'ग' के पदों पर भी लागू होगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा या जोड़ सकती है।

अपवाद

3–इस अधिनियम की कोई बात–

(क) राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में,

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन,

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन,

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक आयुक्त के अधीन,

(ङ) पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

परिभाषायें

4–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(घ) "समूह ग के पद" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से हैं और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(च) ''पुराने आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(छ) ''अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों से है;

(ज) ''सचिव'' का तात्पर्य आयोग के सचिव से है ;

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अध्याय–दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

5–(1) ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा।

(2) पुराने आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें जो उस आयोग में इस अधिनियम के ठीक पूर्व सेवारत थे, आयोग को अन्तरित हो जायेंगी।

आयोग की संरचना

6–(1) आयोग में एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करे :

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर लें, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

7–अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु यह कि जहां तक हो सके, आयोग के आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी-अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम दस वर्ष तक पद धारण किये हों।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य

8–(1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी,

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप-समितियों का गठन करना ;

(ख) सदस्यों, समितियों और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो ;

(ग) आयोग और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना ;

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायँ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

9–(1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कोई सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गई जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात् कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

10–अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाए;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो;

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

सहयुक्त करने की शक्ति

11–आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहे।

आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

12–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि–

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है,

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

आयोग का सचिव

13–(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायँ या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

14–आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

15–(1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्–

(क) भर्ती की रीति से सम्बंधित विषयों पर मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायें।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायँ, मार्गदर्शित होगा।

आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य

16–आयोग, अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा:

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें।

अध्याय–चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना

17–(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

(2) रिक्तियां ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेगी जैसी विहित की जाये।

आयोग द्वारा चयन

18–(1) आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करेगा।

अध्याय–पांच

आयोग के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

19–आयोग की किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

गणपूर्ति

20–आयोग की किसी बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

21–आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

22–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

23–(1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिए फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

24–किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

उद्देश्य और कारण

प्रदेश के शासकीय विभागों में पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य, कर्मठ एवं प्रतिभावान कार्मिकों का चयन किया जाना आवश्यक है। कार्मिकों के चयन में चयन की गुणवत्ता, उसकी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाये रखना भी आवश्यक है। प्रदेश में संवैधानिक स्तर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संस्था विद्यमान है किन्तु उस पर बढ़ते कार्य के दबाव के कारण समूह 'ग' के पदों पर चयन करने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। विगत समय में समूह 'ग' के कतिपय पदों पर शासन के सीधे नियंत्रण में चयन की कार्यवाही की जा रही थी किन्तु उससे विभागाध्यक्षों को अपना अधिक समय उक्त चयन की कार्यवाही में लगाना पड़ा। इन समस्त कारणों से समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु एक स्वतंत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन नितान्त आवश्यक हैं अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए एक विधि बनायी जाए।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 133/VII-V-1-1(ka)4-2006

Dated Lucknow, February 20, 2006

Notification

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinasth Seva Chayan Ayog Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 17, 2006.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION COMMISSION ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 1 OF 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the establishment of a Subordinate Services Selection Commission for certain categories for Subordinate Services and for matter connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty seventh Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1–(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Applicability

2. The provisions of this Act shall apply in relation to direct recruitment to all Group 'C' posts including posts in the Civil Secretariat and also to all Group 'C' posts in a Board or a Corporation or other statutory body established by or controlled by the State Government:

Provided that the State Government may, by notification, withdraw or add any post from the purview of the Commission.

Exception

3. Nothing in this act shall apply to recruitment to any post–

(*a*) in the Secretariat of each House of the State Legislature;

(*b*) under the High Court or a Court subordinate thereto;

(*c*) under the State Public Service Commission;

(*d*) under the Lok Ayukt appointed under the Uttar Pradesh Lok Ayukt and Up-Lok Ayukt Act, 1975;

(*e*) governed by the Police Act, 1861.

Definitions

4. In this Act unless the context otherwise requires–

(*a*) 'Appointing authority', in relation to any service or post, means the authority empowered to make appointment to such service or post;

(*b*) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission constituted under section 5;

(*c*) 'Chairman' means the Chairman of the Commission;

(*d*) 'Group 'C' post' means the post specified as such by the State Government from time to time;

(*e*) 'Member' means a Member of the Commission and includes the Chairman;

(*f*) 'Old Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission constituted under the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 1988;

(g) 'Other backward classes' means the backward classes specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward Classes) Act, 1994;

(h) "Secretary" means the Secretary of the commission;

(i) 'Year of recruitment' means the period of twelve months commencing on the first day of July of a Calendar year.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE COMMISSION

Establishment of the Commission

5. (1) On and from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be known as the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.

(2) The Services of every wholetime employee of the Old Commission serving in that Commission immediately before the commencement of this Act shall stand transferred to the Commission.

Composition of the Commission

6. (1) The Commission shall consist of a Chairman and such other Members not exceeding eight, as the State Government may from time to time appoint:

Provided that member shall be eligible for appointment as Chairman but shall not be eligible for re-appointment or continuance in office either as Member or Chairman after the period of his term.

(2) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman by reason of absence or for any other reason is unable to perform the duties of his office, such duties shall, until some person appointed under sub-section (1) has assumed or, as the case may be, until the Chairman has resumed his duties, be performed by such Member as the State Government may appoint for the purpose.

Appointment of Chairman and Members

7. The Chairman and other Members shall be appointed by the State Government:

Provided that as nearly as may be one half of the Members of the Commission shall be the persons who on the date of their respective appointment have held office on Group 'A' post for at least ten years under the Government of India or under the State Government.

Powers and duties of Chairman and other Members

8. (1) The Chairman shall be incharge of the administration of the Commission and shall have the power to–

(a) constitute Committees or sub-committees from amongst the Members with or without one or more non-members;

(b) allocate to Members, committees and sub-committees such work as is not specifically allocated by this Act, or rules or regulations made there under;

(c) co-ordinate the working of the Commission and its Members; .

(d) grant leave to and approve the tour programmes of Members and Officers of the Commission.

(2) The Members shall assist the Chairman in conducting the examinations and interviews of candidates and do such other work as may be allocated to them by or under this Act, the rules or regulations made there under, or by the Chairman under clause (b) of sub-section (1).

Terms of Office and Conditions of service of Members

9. (1) The Chairman or every other Member shall hold office for a term of five years from the date he assumes his office:

Provided that no Member including the Chairman shall hold office as such after he has attained the age of Sixty five years or he has completed his term, whichever is earlier.

(2) The Chairman or other Member may, at any time, by writing under his hand addressed to the State Government resign from his office.

(3) The Chairman or other Member may be removed from his office by an order made by the State Government on the ground that he has acquired any of the disqualifications specified in section 10 or on the ground of misconduct or incapacity after an inquiry made by a Judge of the High Court in the manner as may be prescribed in which such Member has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Disqualification for being the Chairman or other Member

10. A person shall be disqualified for appointment as Chairman or other Member if he–

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court.

Power to Associate

11. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under this Act, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provision of this Act.

Proceedings of the Commission not to be invalidated.

12. No act or proceedings of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Commission;

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairman or other Member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Secretary of the Commission

13. (1) There shall be a Secretary of the Commission appointed by the State Government, who shall be the Head of the Office of the Commission.

(2) The Secretary shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the rules or regulations made under this Act or as may be directed by the Chairman.

14. All the decisions and orders of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary or any other officer authorised by the Commission in this behalf. Authentication of the orders of the Commission

CHAPTER-III
POWERS AND DUTIES OF THE COMMISSION AND ALLOCATION OF BUSINESS

15. (1) The Commission shall have the following powers and duties, namely – Powers and Duties of the Commission

(a) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment;

(b) to conduct examinations, hold interview and make selection of candidates ;

(c) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (b) ;

(d) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed.

(2) In exercising the powers or performing the duties referred to in sub-section (1), the Commission shall be guided by such rules or regulations as may be made in this behalf.

16. The Commission shall, with previous approval of the State Government, make regulations for the convenient transaction of its business, including performance of its functions by the Chairman or other Members or a committee thereof and the business transacted in accordance with such regulations shall be deemed to have been transacted by the Commission; Business to be transacted by Commission

Provided that it shall be lawful for the State Government to accord approval to any such regulation either in original or in modified form.

CHAPTER-IV
NOTIFICATION OF VACANCIES AND APPOINTMENT

17. (1) The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled through the Commission during the course of the year of recruitment as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories in accordance with the law for the time being in force in this behalf. Notification of vacancies

(2) The vacancies shall be notified to the Commission in such manner as may be prescribed.

18. (1) The Commission shall, as soon as possible after the intimation of vacancies under section 17, hold examination or interview or both and prepare in the manner prescribed a list of the candidates who are found suitable. Selection by the Commission

(2) The list referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the appointing authority and the appointing authority shall make appointments from the list so forwarded to it in the order mentioned therein.

CHAPTER-V
BUSINESS BEFORE THE COMMISSION

19. All matters at any meeting of the Commission shall be determined by a majority of the members present and voting and in the case of equality of votes, the Chairman, or in his absence, the member presiding shall have a second or casting vote. Decision in meeting

20. The quorum for a meeting of the Commission shall be one-half of the total number of members : Quorum

Provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.

CHAPTER-VI
ANNUAL REPORTS

Annual Reports

21. The Commission shall prepare every year, in such form and in such manner as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government, shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

CHAPTER-VII
MISCELLANEOUS

Power to make rules

22. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations

23. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government, make or amend regulations relating to the discharge of its functions under this Act including charging of fees for holding examinations or interviews or both for making selection under this Act.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith

24. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is necessary to select able, worthy and hardworking personnel for appointment to the posts in administrative departments of the State. It is also necessary to ensure the quality of selection, its impartiality and transparency in their selection. Though the institution of Uttar Pradesh Public Service Commission is present at Constitutional level but owing to increased pressure on its working, difficulty is being realised regarding selection on Group 'C' posts. In near past, selection on Group 'C' posts was being done under the direct supervision of the State Government but Head of Departments had to devote much time for the above selections. Due to all these reasons, it is quite necessary to establish an independent Subordinate Services Selection Commission for this purpose. It has, therefore, been decided to make law to provide for the establishment of a Commission by the name of Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission for the selection on certain Group 'C' posts in the State.

The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Bill, 2006 is introduced accordingly.

By Order,
RAM HARI VIJAY TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–2212 राजपत्र (हिन्दी)–(3155)–2006–597 प्रतियां–कम्प्यूटर/आफसेट ।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–165 सा० विधायी–(3156)–2006–850 प्रतियां–कम्प्यूटर/आफसेट ।